बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0–पि0व0 / छात्रवृत्ति–55–01 / 2010– पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल मार्ग,
बिहार, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2015–16 में "मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2013 एवं 2014 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण इस योजना के लाभ से वंचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं को मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र / छात्रा ₹10,000 / – (रूपये दस हजार) मात्र की दर से वृत्ति देने हेतु कुल ₹947.10 लाख (रूपये नौ करोड़ सैंतालीस लाख दस हजार) मात्र की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2015 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं को प्रति छात्र / छात्रा ₹10,000 / – (रूपये दस हजार) मात्र की दर से वृत्तिका देने हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–26 दिनांक–29.07.2015 द्वारा कुल रू० 5000.20 लाख (रूप्ये पचास करोड़ बीस हजार) एवं स्वीकृत्यादेश संख्या–35 दिनांक–23.12.2015 द्वारा रू० 1802.20 लाख (रूप्ये अठारह करोड़ बीस हजार) अर्थात कुल रू० 6802.20 लाख (अरसठ करोड़ दो लाख बीस हजार रूप्ये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में पुनः "मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2013 एवं 2014 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण इस योजना के लाभ से वंचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं को मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र / छात्रा ₹10,000 / – (रूपये दस हजार) मात्र की दर से वृत्ति देने हेतु कुल ₹947.10 लाख (रूपये नौ करोड़ सैंतालीस लाख दस हजार) मात्र की स्वीकृति संलग्न विवरणी के अनुसार प्रदान की जाती है।

2– कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना माँग संख्या–11 के अंतर्गत आय–व्यय व्ययक शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–277–शिक्षा–0101–शिक्षा के कूट संख्या–3401 छात्रवृत्ति / वजीफा, राज्य योजना स्कीम कोड–BCW-5461 विपत्र कोड–P2225032770101" के अधीन कुल बजट प्रावधान ₹947.10 लाख (रूपये नौ करोड़ सैंतालीस लाख दस हजार) मात्र से विकलनीय होगा।

3– इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे।

4– यह राशि बिहार के स्थायी निवासी विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2013 एवं 2014 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता के आधार पर इस योजना से वंचित छात्र / छात्राओं को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र / छात्रा, जो वर्ष 2013 एवं 2014 में मैट्रिक (दसवीं) की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं परन्तु इस योजना के लाभ से वंचित रह गये हैं, का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के आधार पर जाति प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र एवं अंक पत्र के जाँचोंपरान्त उचित पहचान कर एकमुश्त राशि ₹10,000 / – (रूपये दस हजार) मात्र का भुगतान खाता भुगतेय बैंक ड्राफ्ट / चेक / e-Z Pay Card के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी निकासी / भुगतान की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे तथा एक प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

कृ0पृ0उ0

Letter of Princ.Secy(sanction order).(Harry)

6– राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

7– प्रस्ताव में माननीय उप मुख्य (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण) मंत्री की सहमति प्राप्त है।

8– इस राशि की स्वीकृति पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

अनु0– **यथोपरि।**

ह0/–
(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/छात्रवृत्ति–55–01/2010– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव के निजी सहायक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार, पटना/सभी उप विकास आयुक्त/सभी उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/छात्रवृत्ति–55–01/2010– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/छात्रवृत्ति–55–01/2010– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– माननीय उप मुख्य (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण) मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/छात्रवृत्ति–55–01/2010–10 पटना, दिनांक–22-1-16

प्रतिलिपि–श्री हरि शंकर प्र0 सिन्हा, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट **http://bcebcwelfare.bih.nic.in** पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/1/2016
सरकार के सचिव।